ओ०पी० सिंह
आई०पी०एस०

डीजी-परिपत्र संख्या-08 /2019

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलकमार्ग, लखनऊ।

दिनांक : लखनऊः जनवरी 25 ,2019

विषयः हर्ष फायरिंग की घटनाओं के प्रभावी रोकथाम के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

प्रदेश के कतिपय जनपदों में हर्ष फायरिंग की घटनाएं प्रकाश में आयी है। हर्ष फायरिंग में निर्दोष व्यक्तियों की मृत्यु एवं घायल होने की घटनाएं घटित हुई है। इस प्रकार की घटनाएं प्रायः विवाह समारोहों, उत्सवों, धार्मिक उत्सवों एवं जुलुसों आदि अवसरों पर अति उत्साह व हर्ष में की जाने वाली फायरिंग में होने वाली दुघर्टनाओं एवं जीवन हानि से आप लोग भली-भांति अवगत है।

इस प्रकार की घटनाओं के रोकथाम हेतु मुख्यालय एवं शासन स्तर से समय-समय पर पार्श्वांकित निर्देश अनुपालनार्थ निर्गत किये गये है। परन्तु इस प्रकार की घटित घटना से ऐसा प्रतीत होता है कि निर्गत निर्देशों के बाद भी हर्ष फायरिंग की घटनाओं को कड़ाई से रोकने हेतु जनपदों द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है। आप सहमत होंगे कि इस प्रकार की घटित घटना से जहां जनहानि होती है वहीं आम जनता में आक्रोश उत्पन्न होता है।

परिपत्र सं०-डीजी-20/2004 दि० 05.09.2004
परिपत्र सं०-डीजी-18/2006 दि० 08.06.2006
परिपत्र सं०-डीजी-26/2008 दि० 03.03.2008
परिपत्र सं०-डीजी-59/2015 दि० 07.08.2015
परिपत्र सं०-डीजी-15/2016 दि० 06.03.2016
परिपत्र सं०-डीजी-21/2018 दि० 11.05.2018
अ०शा० पत्रसं०-डीजी-08-2046(11)/2012 दि० 23.04.2012
शासनादेश सं०-3017-आर-छः-पु-5-01(15)/2001 दि० 18.02.2010

इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ऐसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु कतिपय निर्देश अनुवर्ती प्रस्तरों में अनुपालनार्थ सुझाये जा रहे हैः-

- इस प्रकार की दुघर्टनाओं को रोकने हेतु उपलब्ध विधिक व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही की जानी चाहिए। ताकि हर्ष फायरिंग की घटनाओं पर प्रभावी नियन्त्रण सुनिश्चित किया जा सके।
- शस्त्रों से सार्वजनिक/भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर हवाई फायरिंग शस्त्र अधिनियम का उलंघन है और अपराधिक कृत्य है। इस बात का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। ताकि ऐसी गतिविधियां स्वतः रोकने में सहायता मिल सके।
- इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष क्षेत्र में आने वाले रायफल क्लब, अस्त-शस्त्र की दुकानों, शादी-विवाह समारोह स्थल, मैरिज हाल, कम्यूनिटिंग सेन्टर के प्रबन्धकों/स्वामियों को हर्ष फायरिंग से होने वाली क्षति को अवगत कराते हुए प्रेरित करें कि वह अपने इन स्थलों पर स्पष्ट रूप से सूचना पट्ट पर अंकित करें कि **"जो व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र का दुरूपयोग/हवाई फायरिंग आदि करेगा तो उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही होगी"**।
- जहां कहीं शादी विवाह, प्रदर्शन, समारोह आदि में अस्त्र-शस्त्र के दुरूपयोग, हर्ष फायरिंग प्रदर्शन की सूचना मिले वहां तत्काल पुलिस भेज कर चेक करायें तथा शस्त्र अधिनियम में वर्णित धाराओं के अनुरूप शस्त्र निरस्तीकरण आदि की कार्यवाही भी करायें। हत्या/मृत्यु कारित होने पर परिस्थितयों के अनुसार भादवि में वर्णित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करें।

Scanned by CamScanner

- जिला मजिस्ट्रेट से समन्वय स्थापित करते हुए राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में जनपद में स्थापित शस्त्र दुकानों में शस्त्र लाइसेन्स धारक को बिक्रीत कारतूसों का स्टॉक रजिस्टर से चेक कराकर यह सुनिश्चित कर लें कि शस्त्र दुकानों में कारतूसों की बिक्री में किसी प्रकार की अनियमितता नही पायी गयी है। अनियमितता पाये जाने वाली शस्त्र दुकानों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही भी कराना सुनिश्चित करें।
- शस्त्र दुकानों के मालिकों द्वारा कारतूसों का विक्रय करते समय पूर्व में क्रेता को उपलब्ध कराये गये कारतूसों का उपयोग में लाये गये कारतूसों का विवरण प्राप्त करें कि क्रेता द्वारा खरीदे गये कारतूसों का किस रूप में प्रयोग किया गया है, का विवरण अपने अभिलेखों में अद्याविधिक करेंगें। शस्त्र दुकानों के सत्यापन के समय अथवा आकस्मिक निरीक्षण के समय इन अभिलेखों का मिलान मजिस्ट्रेट/पुलिस अधिकारी के द्वारा अवश्य किया जाये और अनियमिता पाये जाने के स्थिति में शस्त्र धारक के विरूद्ध शस्त्र अधिनियम की धाराओं में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही करायी जाये।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जनपद में गोष्ठी आयोजित कर उपरोक्त निर्देशों के सम्बन्ध में अपने अधीनस्थों को विस्तार से अवगत करायेगे एवं निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए हर्ष फायरिंग से सम्बन्धित पंजीकृत सभी अभियोगों की समीक्षा करेंगे एवं मासिक अपराध गोष्ठी में हर्ष फायरिंग के दौरान हुई हत्या/चोट, अभियुक्तों की गिरफ्तारी, अभियोग की प्रगति, लाइसेन्स निलम्बन/निरस्तीकरण, शस्त्रों के जमा होने की स्थिति की भी समीक्षा करेंगे तथा इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति पर पूर्ण नियन्त्रण स्थापित करेंगे।

भवदीय,

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून/व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner